प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4697/2006

याचिकाकर्ता - डॉ. आर. के. शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु 15 मई, 2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4697/2006

याचिकाकर्ता - डॉ. आर.के. शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री बी.एस. शर्मा, निवासी वानिकी गेस्ट हाउस, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग , डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110 02

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका</u>

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

श्री डी. शशिधरन, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री सतीश गुप्ता, उप-शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से ।

श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से ।

श्री ठाकुर विजय सिंह, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से ।

.....

आदेश

(दिनांक 15 मई, 2007 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 27-7-2006 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की 'योग प्रशिक्षक' के रूप में नियुक्ति को दिनांक 28-6-2006 से इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि निर्धारित अवधि/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि समाप्त हो गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में, "युजीसी"), नई दिल्ली ने विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, अभ्यास और सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (अनुलग्नक पी./2) शुरू की थी (संक्षेप में, "योजना")। योजना शुरू करने के लिए, इसकी धारा 4 में यह प्रावधान है कि युजीसी केवल X योजना (दसवीं योजना) की अवधि के अंत तक, अर्थात दिनांक 31-3-2007 तक ही चयनित विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करेगा। इसके पश्चात, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना को अपने रखरखाव बजट के अंतर्गत संभालना अपेक्षित है। इस योजना के अनुसरण में, उत्तरवादी क्रमांक 2/विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बिलासपुर में योग केंद्र की स्थापना के लिए युजीसी को एक प्रस्ताव भेजा था और प्रारंभिक वित्तीय सहायता जारी करने की प्रार्थना की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा योग केंद्र की स्थापना के लिए भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में, युजीसी ने दिनांक 30-8-2000 (अनुलग्नक पी./4) के पत्र के माध्यम से ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रशिक्षकों के मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा। इसमें आगे यह प्रावधान था कि विश्वविद्यालय को IX योजना (नौवीं योजना) की अवधि समाप्त होने अर्थात दिनांक 31-3-2002 के बाद केंद्र का रखरखाव स्वयं करना होगा। विश्वविद्यालय दो योग

प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना आदि आयोग को भेज सकता है।

4. विश्वविद्यालय ने विज्ञापन (अनुलग्नक पी./6) के माध्यम से योग प्रशिक्षक के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए, जिसका मानदेय ₹6,500/- प्रति माह तय किया गया था। विज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि यह पद पूरी तरह से युजीसी योजना के तहत अस्थायी है। याचिकाकर्ता को दिनांक 21-6-2001 (अनुलग्नक पी./8) के आदेश द्वारा शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए या युजीसी द्वारा अनुमति दिए जाने तक नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 29-6-2001 को अपना कार्यभार ग्रहण किया।

5. इसके पश्चात, युजीसी द्वारा दिनांक 9-1-2002 (अनुलग्नक 9) के पत्र के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 2 को सूचित किया गया कि "आयोग ने निर्णय लिया है कि IX योजना अवधि के दौरान स्थापित सभी योग केंद्रों को योग प्रशिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक (अर्थात दिनांक 31-3-2002 के बाद भी) वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उसके बाद योजना को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अपने रखरखाव बजट में शामिल किया जा सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. उत्तरवादी क्रमांक 2/विश्वविद्यालय ने दिनांक 19-2-2003 के आदेश द्वारा योग प्रशिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अवधि को दिनांक 29-6-2002 से 28-6-2003 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद, दिनांक 17-3-2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक वर्ष के लिए और दिनांक 28-8-2004 के आदेश द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता की योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति को आक्षेपित आदेश दिनांक 27-7-2006 (अनुलग्नक पी./1) के माध्यम से 28-6-2006 से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है।

7. उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 (विश्वविद्यालय) ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी पद पर की गई थी। याचिकाकर्ता

किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा था और योग प्रशिक्षक का कोई भी स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति युजीसी योजना द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान के अधीन थी। उत्तरवादी क्रमांक 2/विश्वविद्यालय ने दिनांक 12-6-2006 (अनुलग्नक आर-2/2) के पत्र के माध्यम से राज्य शासन से सहायता अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया था ताकि दिनांक 30-6-2006 के बाद भी योग केंद्र जारी रह सके।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह उत्तरवादी क्रमांक 2/विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह दिनांक 30-6-2006 के बाद भी अपने रखरखाव बजट के तहत इस योजना को जारी रखे। याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और वह कहीं और नई नियुक्तियों के लिए आयु-सीमा पार कर चुका है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी. शशिधरन, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री सतीश गुप्ता, उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज चौबे और उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर विजय सिंह को सुना।

10. स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता को शुरू में दिनांक 29.6.2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और इसे बाद के विस्तार पत्रों दिनांक 19.2.2003 और 17.3.2004 के माध्यम से दो वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा गया था। इसके पश्चात, दिनांक 28.8.2004 (अनुलग्नक पी./10) के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को पुनः दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्ति आदेश में ही स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ₹**6,500/-** की सीमा तक मानदेय का भुगतान युजीसी से प्राप्त अनुदान से किया जाएगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति किसी नियमित स्थायी पद पर नहीं थी, बल्कि एक वर्ष के लिए अस्थायी पद पर थी और उसके बाद एक-एक वर्ष करके और अंततः दो और वर्षों के लिए इसे बढ़ाया गया था, जो युजीसी से प्राप्त अनुदान के भुगतान के अधीन था। योग शिक्षक और योग केंद्रों का निरंतर संचालन युजीसी/राज्य

शासन से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं थी और इसलिए उसकी सेवा जारी रखने तथा उक्त पद पर नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और उसके लिए कहीं और रोजगार पाना संभव नहीं है, का कोई आधार नहीं है, क्योंकि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता को यह भली-भांति ज्ञात था कि उसकी नियुक्ति स्थायी प्रकृति की नहीं थी और यह केवल एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे बाद के कुछ वर्षों के लिए बढ़ाया गया था।

12. विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, अभ्यास और सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली योजना का **खंड 4** इस प्रकार है:

"4. सहायता की प्रकृति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युजीसी केवल **X योजना (दसवीं योजना)** की अवधि के अंत तक, अर्थात **31 मार्च 2007** तक ही चयनित विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करेगा। इसके पश्चात, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना को अपने रखरखाव बजट के अंतर्गत संभालना अनिवार्य है। युजीसी निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा:— **4.01** औजीए..."

क्रमांक	मद	योजना के तहत वित्तीय सहायता
1.	उपकरण/फर्नीचर	₹ 1,00,000/- (एकमुश्त अनुदान)
2.	प्रशिक्षकों का मानदेय (अधिकतम दो)	₹ 1,80,000/- प्रति वर्ष (@ ₹ 7500/- प्रति माह) (7500 x 12 x 2 = ₹ 1,80,000/-)

विश्वविद्यालय अपने योग केंद्र की गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक छात्रों/शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ₹ 50/- प्रति माह प्रति व्यक्ति टोकन शुल्क के रूप में ले सकते हैं।

योग प्रशिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निम्नानुसार होंगी:

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग अध्ययन आदि में स्नातकोत्तर डिग्री (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)।

अथवा

2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या योग के क्षेत्र में सुस्थापित प्रतिष्ठा वाले किसी प्रतिष्ठित संस्थान से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग अध्ययन आदि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कम से कम एक वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम), साथ ही योग शिक्षण और अभ्यास में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. यह योजना यह संकेत नहीं देती है कि संबंधित विश्वविद्यालय के लिए इस योजना को अपने रखरखाव बजट के तहत चलाना अनिवार्य था। यह सच है कि यह मंशा थी कि युजीसी केवल 10वीं योजना के अंत तक अर्थात 31 मार्च, 2007 तक ही अनुदान प्रदान करेगा और उसके बाद विश्वविद्यालय को इसे संभालना होगा। इसे संभालने में वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं और यह न्यायालय विश्वविद्यालय को योग केंद्र जारी रखने और अपने रखरखाव बजट से भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

14. मामला चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक कार्यकाल/संविदात्मक नियुक्ति थी और याचिकाकर्ता ने इस पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 309 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। यह विषय अब पूर्व-निर्णित नहीं रह गया है कि रोजगार की संवैधानिक योजना के इतर और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्तियां अवैध और असंवैधानिक हैं। इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी को पद पर बने रहने या नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है।

15. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा **'सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटक एवं अन्य बनाम उमादेवी**[1] के प्रकरण में प्रतिपादित विधि की स्थापित स्थिति को देखते हुए, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी या तदर्थ या अनुबंध पर नियुक्त व्यक्तियों का पद पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति संवैधानिक योजना के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के अनुसार नहीं थी।

16. विधि की इस सुस्थापित स्थिति को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कारणों से, योग शिक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति कानून और विनियमों के अनुसार नहीं थी और न ही किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध थी।

17. अतः यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

1 (2006) 4 SCC 1